

पत्रांक- 6 / अ 4 - 08 / 05 ।८१६ ।

झारखण्ड—सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

## माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

प्रेषक

## निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

ज्ञारखंड रांची ।

सेवा में

संक्षिप्त

ਸੀਂਬੀਂਏਸੀਂਈ ਬੋਰਡ ਨਵੀਂ ਇੰਡੀਆ !

रांची विनाक ६१-४ २००५

टिप्पणी-

प्रौद्योगिकी वाता के द्वारा बहुत अधिक ज्ञान और विद्या का संकलन होता है। इसके लिए विद्यार्थी अपने जीवन के दृष्टिकोण में अपनी विद्या का अधिक विश्वास रखना चाहिए।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक गोदिन्द राम कटारुका रकूल, अरगोडा, रॉची से प्राप्त आवेदन (छायाप्रति संलग्न) पर सम्बन्धित विचारोपरान्त राज्य सरकार ने इस विद्यालय को सी10बी0एस0ई0 बोर्ड से सम्बद्धता हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन मात्र सैद्धान्तिक रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया है। सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व बोर्ड अपनी मानक शर्तों को पूरा करने के संबंध में स्वायं संतुष्ट हो लेगा। राज्य सरकार की शर्त निम्नवत् है—

- (i) विद्यालय प्रबंधन को शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने के पूर्व वर्गवार छात्रों की संख्या, शुल्क, नामांकन प्रक्रिया को पूर्ण सूचना देनी होगी ।

(ii) दस प्रतिशत सीट राज्य के अनुशूदित जाति/अनुशूदित जनजाति/बी0पी0एल छात्रों के लिए अनिवार्य हैं, साथ ही सामान्य शुल्क का 50 प्रतिशत शुल्क ही उन छात्रों से लिया जाएगा । विद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष इस तरह का एक प्रमाण—पत्र विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य है ।

(iii) राज्य सरकार द्वारा संरक्षा को किसी भी प्रकार का आर्थिक अनुदान देय नहीं होगा ।

(iv) संरक्षा द्वारा नामांकन हंतु कोई कैपिटेशन फी/डोनेशन फी नहीं लिया जाएगा ।

(v) विद्यालय में हिन्दी की पढ़ाई अनिवार्य होगी ।

(vi) विद्यालय में निरीक्षण का पूर्ण अधिकार विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों तथा निदेशक, मा० शि० द्वारा नामित पदाधिकारियों को होगा ।

(vii) विद्यालय में किसी भी तरह का शुल्क बढ़ाने से पूर्व उसपर राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

(viii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विद्यालय को प्राप्त आय का उपयोग किन—किन कार्यों में किया जाएगा, उसकी जानकारी राज्य सरकार को देनी होगी तथा उसकी स्वीकृति भी राज्य सरकार से लेनी होगी, साथ ही प्रतिवर्ष विद्यालय को प्राप्त आय का अंकेक्षण कराकर उसके प्रतिवेदन की एक प्रति विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।

(ix) शिक्षक/शिक्षकेतरकर्मियों राहित शेष अन्य तरह के मुगातान चेक के माध्यम से ही किया जाएगा ।

(x) नामांकन की प्रक्रिया में क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक/जिला शिक्षा पदाधिकारी सी सम्प्रभुत होंगे ।

(xi) विद्यालय भवे शिक्षा बोर्ड शिक्षा विभाग के कोई अन्यायिक प्रभावा—मूल शिक्षा शिक्षा वा इन्होंने जैसा कोई अन्यायिक कारण नहीं खोली जाएगी । यदि खोली जाती है तो उसके लिए अलग से अनापत्ति प्रमाण—पत्र लेना अनिवार्य होगा ।

(xii) एतद् विषयक किसी प्रकार के न्यायिक मामलों का निपटारा माननीय आरक्षण उच्च न्यायालय के कानूनी अन्तर्गत होगा ।

372

(xiv) यदि अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत होने के उपरात विद्यालय द्वारा उपर्युक्त शर्त/सिद्धांत की अवहलना/उल्लंघन की जानकारी प्राप्त होती है, तो जॉचोपरांत तो शज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि संबंधित विद्यालय का अनापत्ति प्रमाण-पत्र रद्द करते हुए रुपी0एस0ई0 को अपनी मान्यता समाप्त करने हेतु सूचित कर दिया जाएगा।

विश्वासभाजन,

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

ज्ञारखड, रांची।

ज्ञापांक :- ६/अ ४ -०८/०५ ।६।६।

रांची, दिनांक ५.५.१९६६, ५.१

प्रतिलिपि

माननीय मंत्री जी के आप्त सचिव/सचिव, मानव संरक्षण विकास विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी/क्षेत्रीय

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

ઝાંગરખણ્ડ, રાંધી ।